भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3197

मंगलवार, 23 मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन से जुड़े समुदायों को आर्थिक नुकसान

3197. श्री के.के. रागेश:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पर्यटन से जुड़े व्यवसायों, परिवारों और समुदायों के लिए आर्थिक नुकसान का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट क्या है;

(ग) क्या पर्यटन व्यवसायों और समुदाय-आधारित पर्यटन उपक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई उपाय विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): जी हां। पर्यटन मंत्रालय ने "भारत तथा कोरोना महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और बहाली संबंधी नीतियां" विषय पर अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2021 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को नियुक्त किया है। इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- समग्र अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से पर्यटन से जुड़े घरेलू क्षेत्रों जिन्हें औपचारिक तथा अनौपचारिक जैसे अनेक वर्गों में आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, की आय पर पर्यटन कार्यकलापों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र-वार (अथवा उद्योग-वार) आकलन करना।
- पर्यटन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था तथा घरेलू क्षेत्रों की आय और रोजगार के क्षेत्र-वार तथा समग्र नुकसान का आकलन करना।
- घरेलू पर्यटन कार्यकलापों और पर्यटन से जुड़े अन्य क्षेत्रों को क्रमिक रूप से खोले जाने के प्रभाव का आकलन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को चरणबद्ध रूप से खोले जाने के संभावित प्रभाव का आकलन करना।
- सामान्य रूप से पर्यटन क्षेत्र और विशेष रूप से पर्यटन संबंधी कार्यकलापों से जुड़े परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए समुचित नीतिगत उपाय प्रस्तावित करना।

एनसीएईआर से रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

(ग) और (घ): कोविड-19 महामारी के पश्चात पर्यटन संबंधी व्यवसायों और समुदाय-आधारित पर्यटन उद्यमों को सहायता सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

पर्यटन से जुड़े समुदायों को आर्थिक नुकसान के संबंध में दिनांक 23.03.2021 के राज्य सभा लिखित प्रश्न सं. 3197 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में **विवरण**

कोविड-19 के पश्चात पर्यटन व्यवसायों तथा समुदाय- आधारित पर्यटन उद्यमों की सहायता सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण निम्नलिखित है :-

i. व्यवसाय की निर्बाध बहाली में सहायता के लिए होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे और पर्यटन सेवाप्रदाताओं के लिए कोविड-19 सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी विस्तृत प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और दिनांक 8 जून 2020 को जारी किए गए हैं।

ii. जिन होटल तथा अन्य आवास इकाईयों के परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन तथा वर्गीकरण/ पुनः वर्गीकरण की वैधता अवधि समाप्त हो गई है/अथवा समाप्त होने वाली है उनके अनुमोदन अथवा प्रमाणन की वैधता 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

iii. मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान और उसके बाद होटल, रेस्तरां, बेड एंड ब्रेकफास्ट तथा अन्य इकाइयों के सुरक्षित प्रचालन के लिए जारी दिशा निर्देशों/एसओपी के कारगर कार्यान्वयन के लिए एसएएटीएचआई (सिस्टम फॉर एसेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) नामक पहल की है।

iv. यात्रा एवं आतिथ्य उद्योग के विभिन्न वर्गों के लिए लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए प्रचालन संबंधी सिफारिशों जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

v. पर्यटन मंत्रालय द्वारा यात्रा एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता स्वत: छह माह के लिए बढ़ा दी गई है। जिन्होंने मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है उनके संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के पूरा होने तक उन्हें छह माह के लिए अस्थाई रूप से मान्यता प्रदान की गई है।

vi. मंत्रालय ने बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है जिसके अंतर्गत विदेशी बाजारों में पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

vii. सरकार ने देश में एमआईसीई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के अंतर्गत एमआईसीई आयोजनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनो में संशोधन किया है।

*****